भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2939
08 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

जीडीपी में एफपीआई का योगदान

2939. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के योगदान में हुए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा सहित राज्य-वार इस क्षेत्र में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान निम्नानुसार है:

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
प्रतिशत में हिस्सा	1.85	1.48	1.55	1.37	1.30

*राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार

(ख): पिछले पांच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वृद्धि निम्नानुसार है। तथापि, राज्य-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जीवीए में वृद्धि (करोड़ रुपए में)					
वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
जीवीए	2,35,710	1,95,909	1,96,332	1,89,532	1,91,967
वृद्धि(%)	22.41	-16.89	0.22	-3.46	1.29

* राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार

(ग): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i . उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को छूट देना;

ii. क्षेत्रीय विनियमनों के अध्ययीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है;

iii. भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; और

iv. कच्चे एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए कम जीएसटी; विभिन्न अध्याय शीर्षों/उप-शीर्षों के अंतर्गत 71.7% से अधिक खाद्य उत्पाद 0% एवं 5% के निम्न कर स्लैब में आते हैं।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन में है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। दिनांक 30 जून, 2024 तक पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल 92,549 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदित किया गया है।
